

सेवा में,

श्रीमान् तहसीलदार महोदय

तहसील व जिला टॉक

विषय:- सहमति के आधार पर खाते का विभाजन करने के त्रैम में।

महोदय,

निवेदन है कि ग्राम प0म0 भू.अ.नि. क्षेत्र. तह0 टॉक में जमाबंदी संवत् 20..-20.. के खाता सं. . . का हम सभी सहखातेदारों की सहमति के आधार पर विभाजन करने की कृपा करें।

जमाबंदी संवत् 20..-20.. के अनुसार खाता निम्नानुसार है-

खाता संख्या	नाम ग्राम	नाम खातेदार मय विवरण	ख. न.	रकबा	किस्म भूमि	लगान

उक्त खातों का हम सभी सहखातेदार निम्नानुसार विभाजन करना चाहते हैं। मौके पर हमने इसी प्रकार विभाजन भी कर लिया है:-

क्र.सं.	नाम खातेदार	ख. न.	रकबा	किस्म भूमि	लगान

हम सभी खातेदार उक्तानुसार विभाजन करने पर पूर्ण सहमत हैं तथा विभाजित भूमि का विभाजनानुसार नजरी नक्शा निम्न प्रकार है।

नाम खातेदार	हस्ताक्षर

हम सभी खातेदार उक्तानुसार विभाजन करने पर पूर्ण सहमत हैं तथा हमारी सहमति स्वरूपनिम्न गवाहों तथा खातेदारों के हस्ताक्षर करते हैं।

हस्ताक्षर खातेदारान

नाम गवाह 1. हस्ताक्षर
2. हस्ताक्षर

रिपोर्ट पटवारी तथा भू.अ.निरीक्षक

हमने उक्त प्रस्तावों की मौके तथा रिकॉर्ड से जाच कर ली है तथा सहखातेदारों ने मौके पर विभाजन कर लिया है। अतः विभाजन स्वीकार योग्य है।

हस्ताक्षर

पटवारी हल्का

हस्ताक्षर

भू.अ.नि.वृत्त.

आदेश

सभी सहखातेदारों ने मेरे समक्ष व्यक्तिशः निम्न गवाहों के साथ उपस्थित होकर उक्त प्रस्तावानुसार संबंधित खाते का विभाजन करना सहमति से स्वीकार किया है। सहमति स्वरूप मेरे समक्ष हस्ताक्षर किये हैं। अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53(2) के अनुसार विभाजन स्वीकर किया जाता है। राजस्व अभिलेखों में नियमानुसार अंकन करें।

तहसीलदार (भू.अ.) टॉक

हस्ताक्षर सहखातेदारान

हस्ताक्षर गवाह 01. 02.

क्रमांक/भू.अ./

दिनांक:-

प्रतिलिपि:- पटवारी हल्का को पालनार्थ प्रेषित है।

तहसीलदार (भू.अ.) टॉक